बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
॥ संकल्प ॥

विषय :– पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में दो कोरिडोर का कार्यान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) से Deposit Work Method पर स्वीकृत Project Cost के अंतर्गत कुल भुगतेय राशि ₹ 482.87 करोड़ (चार सौ बेरासी करोड़.सतासी लाख रू0) की लागत पर Nomination Basis पर कार्य आवंटन करने के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति।

2. पटना शहर में पर्यावरण के अनुकुल सुगम्य यातायात की व्यवस्था एवं जाम की समस्या से नागरिकों को निजात दिलाने के साथ प्रदूषण एवं समय की बचत होने के उद्देश्य से पटना मेट्रो रेल चलाने हेतु मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों पर पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वयन SPV Model में DPR, Comprehensive Mobility Plan (CMP) एवं Alternative Analysis (AA) सहित परियोजना प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 09.10.2018 को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी। भारत सरकार से भी सहमति उपरांत इस परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के कर–कमलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 17.02.2019 को किया जा चुका है। पटना मेट्रो रेल परियोजना 2024 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसके लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गयी है।

3. पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में दो कोरिडोर को पूरा करने में कुल अनुमानित लागत ₹ 13,365.77 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश के अनुसार निवेश के रूप में भारत सरकार एवं बिहार सरकार की हिस्सेदारी 20 : 20 प्रतिशत तथा बाह्य एजेंसी से 60 प्रतिशत ऋण लिए जाने का उल्लेख है। वाह्य एजेंसी के रूप में JICA से ऋण के रूप में राशि प्राप्त करने के प्रस्ताव पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित Project Screening Committee का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

प्रथम चरण में दो कोरिडोर का कार्य पूर्ण किया जाना है जो निम्नवत् है:–

(i) East-West Corridor : Danapur-Mithapur via Patna Railway Station.

(ii) North-South Corridor : Patna Railway Station - New ISBT via Gandhi Maidan, PMCH, Rajendra Nagar Railway Station.

East-West Corridor की कुल लंबाई 16.94 km है जिसमें Elevated Portion की कुल लंबाई 5.48 km, Under Ground की लंबाई 11.20 km एवं At Grade की लंबाई 0.26 km होगी। इस कोरिडोर में कुल 12 Station है जिसमें 3 Elevated Station, 8 Under Ground एवं एक Station At Grade है।

North-South Corridor की कुल लंबाई 14.45 km है जिसमें Elevated Portion की लंबाई 9.90 km एवं Under Ground की लंबाई 4.55 km होगी। इस कोरिडोर में कुल 12 Station है जिसमें 9 Elevated Station एवं 3 Under Ground Station है।

पटना मेट्रो रेल परियोजना को त्वरित गति से पूर्ण करने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की Board of Directors की तीसरी बैठक में Deposit Work Basis पर कार्य आवंटन करने हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) से प्राप्त प्रस्ताव पर सहमति दी गयी है। उक्त बैठक में लिया गया संकल्प निम्नवत् है :–

" **RESOLVED THAT** the proposal of DMRC to execute Patna Metro Rail Project on the basis of Deposit work Method at total fee of Rs.511.88 Cr. be sent to Govt. of Bihar along with draft agreement for obtaining necessary approval from Govt. of Bihar to award the contract to DMRC on nomination basis."

उल्लेखनीय है कि PMRCL के बोर्ड की बैठक के उपरांत राशि की गणना में विभाग स्तर पर त्रुटि पाए जाने के कारण DMRC से इसको सुधार कराया गया और संशोधित दर के अनुसार DMRC को कुल देय शुल्क ₹ 511.88 करोड़ के स्थान पर ₹ 507.87 करोड़ होगी।

उक्त के अनुसार संलेख एवं प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु दिनांक 20.08.2019 को मंत्रिमंडल सचिवालय को संचिका भेजी गई। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निदेश किया गया कि DMRC को देय फीस को कम करने के लिए वार्ता की जाय। तदालोक में दिनांक 02.09.2019 को PMRCL द्वारा DMRC के साथ दर के संदर्भ में Negotiation किया गया। PMRCL द्वारा Negotiation के पश्चात् सूचित किया गया है कि DMRC के सक्षम प्राधिकार द्वारा DMRC को देय फीस ₹ 507.87 करोड़ में से एकमुश्त ₹ 25.00 करोड़ कम करने पर सहमति बनी है। तद्नुसार DMRC के पत्र दिनांक 02.09.2019 द्वारा उक्त आशय की सूचना देते हुए संशोधित एकरारनामा प्रारूप दिया गया जिसे PMRCL के पत्रांक 181 दिनाक 02.09.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। संशोधित एकरारनामा के अनुसार DMRC को देय संशोधित शुल्क/फीस की राशि ₹ 482.87 करोड़ (चार सौ बेरासी करोड़.सत्तासी लाख रू0) होती है।

उल्लेखनीय है कि मंत्रिपरिषद् के समक्ष संलेख एवं प्रस्ताव भेजने के पूर्व भी PMRCL द्वारा DMRC से दर वार्ता की गई थी तथा वार्ता के पश्चात् प्रथम कोरिडोर के लिए उनके शुल्क/फीस को Project Cost के 6% के स्थान पर 5% कराया गया था, जिसके कारण DMRC के मूल प्रस्ताव में दी गयी शुल्क की राशि ₹ 566.12 करोड़ से घटकर ₹ 507.87 करोड़ हो गयी। इससे राज्य सरकार को ₹ 58.25 करोड़ की बचत हुई थी। वर्त्तमान में Negotiation के पश्चात् कुल देय राशि में से ₹ 25.00 करोड़ की और बचत हुई है। इस प्रकार DMRC से Negotiation के उपरांत कुल बचत की राशि ₹ 58.25 + 25.00= 83.25 करोड़ (तेरासी करोड़.पचीस लाख रू0) होती है।

4. पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वयन Nomination basis पर DMRC से कराने के मुख्य कारण निम्नवत हैः–

(i) DMRC देश का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित कॉरपोरेशन है जिसे मेट्रो परियोजना का कार्य अनुभव सबसे ज्यादा है।

(ii) DMRC का established man power है।

(iii) DMRC द्वारा Deposit Work पर देश के विभिन्न शहरों में कार्य किए गए है, जो निम्नवत् हैः–

(a) नोएडा में ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल कोरिडोर जिसकी लंबाई 29.71 k.m है, का कार्य किया गया है।

(b) DMRC द्वारा कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना जिसकी लंबाई लगभग 25.61 k.m है, में 18.4 k.m का कार्य किया गया है शेष कार्य निर्माणाधीन है।

(c) मुम्बई मेट्रो परियोजना के अंतर्गत कुल 33.07 k.m का निर्माण कार्य DMRC द्वारा किया जाना है जिसमें कुछ भाग में कार्य निर्माणाधीन है।

(d) जयपुर मेट्रो परियोजना के अंतर्गत कुल 12.15 k.m का कार्य DMRC द्वारा प्रस्तावित है जिसमें से कुछ भाग में कार्य निर्माणाधीन है।

(iv) मेट्रो परियोजना का कार्य निर्धारित समय से पूर्व ही DMRC द्वारा किया जा रहा है।

(v) DMRC द्वारा अबतक कार्यान्वित मेट्रो परियोजनाओं में Elevated एवं Underground का निर्माण पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया गया है।

(vi) DMRC द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कार्य आवंटन के पश्चात तीन–चार महीने में पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

5. DMRC से प्राप्त Draft Agreement में निम्नलिखित मुख्य शर्त्ते है :–

(i) 31.39 कि०मी० के दोनो कोरिडोर का DPR के अनुसार सम्पूर्ण कार्य DMRC द्वारा किया जाएगा तथा PMRCL द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

(ii) उक्त कार्य की अनुमानित लागत DPR में वर्णित सभी करों सहित ₹ 9435.51 करोड़ होगी। इसमें भूमि, R&R, निर्माण के दौरान ब्याज की राशि तथा DMRC को प्रथम कोरिडोर के लिए देय सामान्य शुल्क 5% तथा द्वितीय कोरिडोर के लिए सामान्य शुल्क 6% शामिल नहीं होगा। ***DMRC को Deposit work basis पर कार्य करने का अनुभव है जिसमें उनके द्वारा अबतक सभी परियोजनाओं में Project Cost का 6% सामान्य शुल्क पर कार्य किया गया है परन्तु पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के प्रथम कोरिडोर की लंबाई अधिक होने के उपरांत भी Project Cost के 5% सामान्य शुल्क पर कार्य करने पर सहमति दी गयी है।*** कुल देय राशि ₹ 9435.51 करोड़ DMRC को बिना किसी कटौती के जारी किए जाएंगे। DMRC को प्रथम कोरिडोर के लिए ₹ 5825.49 करोड़ का 5% अर्थात् ₹ 291.27 करोड़ एवं द्वितीय कोरिडोर के लिए ₹ 3610.02 करोड़ का 6% अर्थात् ₹ 216.60 करोड़ देय होगा। परन्तु दिनांक 02.09.2019 को DMRC के साथ किये गये वार्ता के आलोक में दोनों कोरिडोर

के लिए DMRC को देय शुल्क/फीस की राशि में से एकमुश्त ₹ 25.00 करोड़ कम कर दिया गया है। तदनुसार दोनों कोरिडोर के लिए देय शुल्क/फीस की कुल राशि ₹ 482.87 करोड़ होगी। इसके शुल्क के साथ लागू GST की राशि भी DMRC को अलग से देय होगी। DMRC को देय वास्तविक शुल्क का निर्धारण परियोजना पूर्णता की लागत पर की जाएगी। **उल्लेखनीय है कि DMRC को देय शुल्क पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्वीकृत Project Cost के अंतर्गत ही है।**

(a) यदि परियोजना के DPR में PMRCL द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है और जिससे Scope of Work में बदलाव होगा तथा परियोजना लागत मूल्य में वर्त्तमान निर्धारित ₹ 9435.51 करोड़ में परिवर्तन होगा तब DMRC को देय निर्धारित शुल्क में भी तद्नुसार परिवर्तन होगा।

(b) यद्यपि DMRC परियोजना लागत ₹ 9435.51 करोड़ के अन्तर्गत कार्य करने का हर संभव प्रयास करेगा तथापि Competitive Bidding, राज्य/ केन्द्रीय करों में वृद्धि, PMRCL द्वारा समय वृद्धि आदि के कारण से परियोजना लागत में वृद्धि होने पर DMRC के शुल्क में भी तद्नुसार वृद्धि होगी।

(c) यदि परियोजना लागत में किसी कारण से बचत होती है तो वह राशि PMRCL को प्राप्त होगी।

(iii) परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता का निर्धारण एवं संबंधित विभागों से विचार कर इसकी योजना तैयार करने की कार्रवाई DMRC करेगा तथा आवश्यकतानुसार भू–अर्जन की कार्रवाई PMRCL करेगा। साथ ही PMRCL द्वारा विस्थापितों का पुनर्वास एवं मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। PMRCL का दायित्व होगा कि DMRC को आवश्यकता होने पर वैसी भूमि उपलब्ध कराएगा जो सभी दायित्वों से मुक्त होगी।

(iv) परियोजना की पूर्णता के लिए सभी प्रकार की निविदा DMRC द्वारा की जाएगी।

(v) PMRCL द्वारा DMRC को Mobilization Advance देने की तिथि से 5 वर्षों में परियोजना को DMRC द्वारा पूर्ण किया जाएगा।

(vi) DMRC द्वारा एक प्रोजेक्ट कार्यालय पटना में खोला जाएगा जो Project Director के अधीन कार्य करेगा। DMRC अपनी आवश्यकतानुसार कर्मियों एवं अभियंताओं की सेवाएँ Project Office को देगा। Project Director परियोजना की पूर्णता के लिए निविदा सहित अन्य निर्णय/ निदेश अपने नई दिल्ली स्थित Corporate Office से प्राप्त करेगा।

(vii) PMRCL का दायित्व होगा कि वह DMRC के Project Office के लिए अनुमानित 3000 Sq. feet का स्थल उपलब्ध कराएगा जो सभी संसाधनों से सुसज्जित होगा। यह स्थल PMRCL द्वारा DMRC को परियोजना पूर्णता तक मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा।

(viii) बिहार सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक Empowered Committee का गठन कर सकती है जो DMRC एवं PMRCL को किसी प्रकार की कठिनाईयों का त्वरित निदान करेगी।

(ix) DMRC के Project Director अगले वर्ष की राशि की उपलब्धता के लिए अग्रिम में अधियाचना करेंगे। PMRCL परियोजना की पूर्णता के लिए सदैव DMRC को तीन माह का अग्रिम राशि उपलब्ध

कराएगा। DMRC प्रत्येक तिमाही में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा। PMRCL द्वारा DMRC को बिना किसी कटौती के राशि विमुक्त की जाएगी।

(x) DMRC को परियोजना कार्यान्वयन हेतु जो शुल्क दिया जाएगा उसमें राज्य सरकार को देय taxes/ duties या तो PMRCL को वहन करना होगा अथवा उसे क्षान्त कराना होगा।

(xi) एकरारनामा हस्ताक्षर के 15 दिनों के अन्दर PMRCL द्वारा DMRC को Mobilization Advance की राशि ₹ 24.14 करोड़ एवं इसपर लागू GST का भुगतान करना होगा। शेष राशि ₹ 458.73 करोड़ DMRC को 20 समान तिमाही किश्तों में दी जाएगी, जो ₹ 22.94 करोड़ एवं इसपर लागू GST के रूप में होगी। यदि परियोजना 5 वर्षों में पूर्ण नहीं होती है और इसमें DMRC को कोई दोष नहीं हो, तथा Scope of Work में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो तो अतिरिक्त शुल्क के रूप में ₹ 5.93 करोड़ एवं उसपर लागू GST मासिक रूप से DMRC को देय होगा, जो PMRCL द्वारा प्रत्येक माह के 10 तारीख तक दे दिया जाएगा।

(xii) परियोजना लागत में O&M शामिल नहीं है। परन्तु यदि PMRCL चाहे तो DMRC द्वारा O&M कार्य उस समय तक किया जा सकता है जब तक PMRCL स्वयं O&M कार्य करने में सक्षम न हो जाए। O&M Cost की राशि दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से बाद में निर्धारित कर ली जाएगी।

(xiii) परियोजना निर्माण के किसी एक मद में ₹ 10.00 करोड़ तक के deviation पर परियोजना निदेशक, DMRC का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। परन्तु ₹ 10.00 करोड़ से अधिक के deviation पर PMRCL का अनुमोदन आवश्यक होगा। जिसके लिए PMRCL अधिकतम 14 कार्य दिवस से अधिक का समय नहीं लेगा।

(xiv) परियोजना निर्माण के दौरान किसी प्रकार की न्यायिक अड़चन आने पर इसका निष्पादन PMRCL द्वारा किया जाएगा एवं इसकी राशि भी PMRCL द्वारा देय होगी जिसे परियोजना लागत में जोड़ दिया जाएगा।

(xv) दोनों पक्ष परियोजना के drawings एवं documentation पर कड़ी गोपनीयता बरतेंगे।

(xvi) Mobilization Advance की राशि भुगतान करने की तिथि से एकरारनामा प्रभावी होगा।

(xvii) प्रत्येक निविदा में आवश्यक LD का प्रावधान होगा और यदि किसी प्रकार के LD की कटौती की जाएगी तो उसे PMRCL को दे दिया जाएगा।

(xviii) इन शर्तों के अतिरिक्त एकरारनामा प्रारूप में Closure of Contracts and taking over तथा Defect Liabilities की भी चर्चा है। DMRC तथा PMRCL के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। साथ ही एकरारनामा के Suspension एवं Termination की शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेख है कि किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में DMRC तथा PMRCL आपसी सहमति से इसका हल निकालेंगे जो दोनों पक्षों को अंतिम रूप से मान्य होगा। इस प्रकार के समझौता एकरारनामा को Arbitration award के रूप में माना जाएगा। यदि समझौता से विवाद का हल नहीं निकल पाता है तो विवाद को 30 दिनों के भीतर प्रबंध निदेशक, PMRCL एवं DMRC के पास भेजा जाएगा।

(xix) यह एकरारनामा बिहार सरकार के नियमों और कानूनों के अधीन होगा तथा मात्र माननीय पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(xx) पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु DMRC के शुल्क एवं विभिन्न मदों में परियोजना लागत निम्नवत् है:–

Revised Fee Calculation after negotiation on 2-9-2019 for Implementation of Patna metro Project both Corridors having 31.39 km on Deposit Terms (with 5% Fee for Corridor -1 and 6% Fee for Corridor -2)			
Particulars	Corridor -1 Dhanapur to Mithapur having 16.94 km on Deposit Terms with 5% Fee	Corridor 2 Patna Railway station to New ISBT having 14.45 km on Deposit Term with 6% Fee	Total
Project Completion Cost	8363.15	5002.62	13365.77
Land cost	2227.78	1162.72	3390.51
R&R Cost	5.83	5.32	11.15
Interest during Construction (IDC)	12.77	7.95	20.72
Project Cost Excluding Cost of Land R &R and IDC	6116.77	3826.63	9943.39
Cost of both Corridors with Taxes (without 5% Fee for Corridor-1 and without 6% Fee for Corridor-2)	5825.49	3610.02	9435.51
DMRC Fee @ 5% for Corridor-1 and 6% for Corridor -2	291.27	216.60	507.87
Deduction of Lumpsum Fee as per negotiation held between PMRC and DMRC as a special case on 2.9.2019	14.34	10.66	25.00
Net Fee Chargeable TP PMRCL	276.93	205.94	482.87
Cost of both Corridors with Taxes but with discount (without 5% Fee for Corridor-1 and without 6% Fee for Corridor-2)	5839.83	3620.68	9460.51
Mobilisation @5% of DMRC fee (Plus taxes as applicable)	13.84	10.30	24.14
Balance fee payable in 20 installments	263.09	195.64	458.73
Quarterly Installment (Plus taxes as applicable)	13.16	9.78	22.94
An additional fee beyond 5 years at the rate of 70% of the said monthly average fee (Plus taxes as applicable)			5.93

6. पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु राशि का व्यय मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–5075–अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश, उप शीर्ष–0101–पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, विषय शीर्ष–54–निवेश 0101–54–01 निवेश विपत्र कोड–48–5075601900101 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि रू0 60.00 करोड़ (साठ करोड़ रू0 मात्र) में से की जाएगी।

इसके अतिरिक्त पटना मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्त विभाग द्वारा अन्य बजट शीर्ष भी खोले गए है। उन बजट शीर्षों में भी बजट उपबंध प्राप्त होने पर व्यय किया जाएगा।

7. **राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.09.2019 को सम्पन्न बैठक के मद सख्या–14 के रूप में इसे स्वीकृती प्रदान की गयी है।**

8. **अतः पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण में दो कोरिडोर का कार्यान्वयन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) से Deposit Work Method पर स्वीकृत Project Cost के अंतर्गत कुल भुगतेय राशि ₹ 482.87 करोड़ (चार सौ बेरासी करोड़.सतासी लाख रू0) की लागत पर Nomination Basis पर कार्य आवंटन करने के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।**

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4/9/2019

(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–03/मेट्रो रेल– 04–11/2019– 2461 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक– 4/9/19

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 संलग्न) सूचनार्थ एवं अवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की 200 प्रतियां विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

4/9/2019

सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांक–03/मेट्रो रेल– 04–11/2019–2461 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक– 4/9/19

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/MD, Patna Metro Rail Corporation Limited (PMRCL)/ MD, Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/9/2019

सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।